भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 686
(जिसका उत्तर सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

"जीएसटी पंजीकरण में धोखाधड़ी के मामले"

686. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरगं आप्पा बारणे:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का दावा करने के लिए अन्य लोगों के पैन और आधार विवरणों का दुरुपयोग करके जीएसटी पंजीकरण के धोखाधड़ी वाले मामले आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) देश में जीएसटी के अंतर्गत जोखिम भरी इकाइयों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और जियो - टैगिंग को कार्यान्वित करने की योजना बना रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा देशभर में वर्तमान वर्ष के के दौरान जाली पंजीकरण के विरुद्ध सीबीआईसी के चल रहे अभियान के दौरान कुल कितनी फजी संस्थाओं की पहचान की गई है; और

(च) सीबीआईसी द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधोयों तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे संदिग्ध व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): हां महोदय । 01.07.2017 से 30.06.2023 की अवधि के दौरान केंद्रीय जीएसटी प्रशासन द्वारा दर्ज मामलों का विवरण इस प्रकार है:

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	आईटीसी का दावा करने के लिए अन्य लोगों के पैन/आधार विवरण का गलत उपयोग करके जीएसटी पंजीकरण के धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	अपवंचन की राशि (करोड़ रूपये में)	वसूली की गई राशि (करोड़ रूपये में)	गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या
आंध्र प्रदेश	91	47.23	5.53	3
असम	80	383.03	25.39	3

बिहार	65	454.91	0	0
चंडीगढ़	3	10.64	0	2
छत्तीसगढ	36	491.64	0	7
दिल्ली	713	4326.39	159.01	43
गोवा	1	0.04	0	0
गुजरात	570	2902.5	102.78	45
हरियाणा	265	230.82	1.92	5
हिमाचल प्रदेश	2	0.92	0.92	0
जम्मू और कश्मीर	2	0.14	0	0
झारखंड	177	1466.67	21.45	3
कर्नाटक	52	137.45	0.66	1
केरल	135	162.03	0	0
मध्य प्रदेश	62	141.49	8.76	3
महाराष्ट्र	765	3889.73	171.32	23
नागालैंड	8	16.78	0	0
ओडिशा	290	1389.93	15.97	1
पंजाब	160	515.83	32.59	10
राजस्थान	410	4266.17	167.25	63
तमिलनाडु	632	1877.24	44.02	41
तेलंगाना	137	267.18	17.43	12
त्रिपुरा	12	51.78	0	0
उत्तर प्रदेश	193	2324.62	12.11	53
उत्तराखंड	2	31.82	0	0
पश्चिम बंगाल	207	2039.18	135.47	13
कुल	5070	27426.16	922.58	331

(ख), (ग) और (घ): जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकरण आवेदकों के जोखिम आधारित बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 में उप-नियम (4ए) शामिल किया गया है और परियोजना तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परीक्षण के आधार पर शुरू की जा रही है।

इसके अलावा, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क (जीएसटीएन) ने पंजीकरणकर्ताओं के व्यवसाय के मुख्य स्थान के पते को जियोकोड करने की कार्यक्षमता को सक्रिय कर दिया है।

(ङ) :

कर प्रशासन	16.05.2023 से 09.07.2023 तक पहचानी गई फर्जी संस्थाओं की संख्या	अपवंचन की राशि (करोड़ रूपये में)	वसूली की गई राशि (करोड़ रूपये में)	गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या
केंद्र (सीबीआईसी)	9369	10902	45	7

(च) व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों की पहचान सत्यापित करने और धोखाधड़ी गतिविधि के संदिग्ध पंजीकरण के मामलों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का विवरण इस प्रकार है:

1. स्थायी खाता संख्या (पैन) से जुड़े मोबाइल और ईमेल पते पर पैन के वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सत्यापन प्रदान करने के लिए सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 में संशोधन; इसके अलावा, पंजीकरण आवेदकों के जोखिम आधारित, बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए सीजीएसटी नियम, 2017 के उक्त नियम 8 में उप-नियम (4ए) को शामिल किया गया है;

2. उच्च जोखिम वाले मामलों में भौतिक सत्यापन प्रदान करने के लिए सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 9 में संशोधन, तब भी जब आधार प्रमाणित हो चुका हो।

3. जोखिमयुक्त करदाताओं की पहचान करने, उनका पता लगाने और कर वंचन की जानकारी प्राप्त करने के लिए मजबूत डाटा विश्लेषण और कृत्रिम आसूचना का प्रयोग करना;

4. 16.05.2023 से 15.07.2023 तक फर्जी पंजीकरण को ख़त्म करने के लिए विशेष अखिल भारतीय अभियान चलाना;

5. सहभागी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अधिक लक्षित अंत:क्षेपों के लिए डेटा साझा करना; और

6. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 10 ए में संशोधन द्वारा, पंजीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप यह प्रावधान किया गया है कि बैंक खाता पंजीकृत व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए और पंजीकृत व्यक्ति के पैन पर प्राप्त किया जाना चाहिए और प्रोपराइटरशिप फर्म के मामले में इसे आधार के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने अपनी 50वीं बैठक में नियम 10ए में और संशोधन की सिफारिश की है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर या जीएसटीआर-1 दाखिल करने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

*****